मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2014 (फाल्गुन 13, 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण, व्यापम भर्ती मामले की जांच सी.बी.आई. से कराने की मांग करते हुए गर्भगृह में आसंदी के समक्ष आए. अध्यक्ष महोदय द्वारा उनसे अपने आसनों पर जाने हेतु निर्देशित कर, प्रश्नकाल चलने देने एवं इस संबंध में अध्यक्षीय कक्ष में आकर चर्चा करने हेतु अनुरोध किया गया.

सदन में निरंतर व्यवधान के कारण कार्यवाही, 10.43 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर, 10.58 बजे पुन: समवेत हुई. तत्पश्चात् 11.01 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाकर 11.32 बजे पुन: समवेत हुई . अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल के मध्य, शेष कार्यवाही जारी रही.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार –

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल की सड़कों की स्थिति खराब होने.
(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की मंदसौर जिले के कई ग्रामों के ट्रांसफार्मर्स खराब होने,
(3) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की लेबड स्थित फोरलेन सड़क में तकनीकी खराबी होने से दुर्घटनाएं होने,
(4) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरियावली के ग्रामों में पेयजल योजनाएं चालू न होने,
(5) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य की सिवनी जिले में वन अधिनियम के तहत पट्टा न दिये जाने,
(6) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की इन्दौर शहर का दूषित जल क्षिप्रा नदी में मिलने तथा
(7) श्री कमलेश्वर इन्द्रजीत पटेल, सदस्य की सिंगरौली जिले में प्रदूषण से गंभीर बीमारियां फैलने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने -

(क) वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण तथा
(ख) वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-
(i) क्रमांक-एफ-ए-3-29-2011-1-पांच (01), दिनांक 29 जनवरी, 2014,
(ii) क्रमांक-एफ-ए-3-35-2013-1-पांच (04), दिनांक 5 फरवरी, 2014,
(iii) क्रमांक-एफ-ए-3-33-2013-1-पांच (07), दिनांक 13 फरवरी, 2014,
(iv) क्रमांक-एफ-ए-3-15-2011-1-पांच (44), दिनांक 2 सितम्बर, 2013 एवं
(v) क्रमांक-एफ-ए-3-28-2013-1-पांच (46), दिनांक 12 सितम्बर, 2013

पटल पर रखीं.

(2) श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि का प्रथम वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 तथा

(ख) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का नवम् वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13

पटल पर रखे.

(3) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वित्तीय वर्ष 2012-13 पटल पर रखे.

(4) श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 48 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2008-09 पटल पर रखे.

4.ध्यान आकर्षण

(1) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने शिवपुरी जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का कार्य घटिया स्तर का होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री तुकोजीराव पवार तथा विश्वास सारंग, सदस्यगण ने देवास जिले के उद्योगों एवं राजगढ़ जिले की विन्ध्याचल डिस्टिलरी द्वारा प्रदूषण किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. वर्ष 2013-14 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव किया कि–

"दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 24, 26, 29, 32, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 52, 56, 58, 61, 63, 64, 72, 73, 74, 76 एवं 77 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सात सौ बारह करोड़, चवालीस लाख, पैंसठ हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

7. वर्ष 2014-15 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा

अत्यधिक व्यवधान के कारण, वर्ष 2014-15 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकी.

8. वर्ष 2014-15 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह सूचित किया गया कि परम्परानुसार लेखानुदान तथा इससे संबंधित विनियोग विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिये जाते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण बजट के आने पर चर्चा का अवसर सदस्यों को मिलता ही है.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव किया कि –

"दिनांक 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2014-15 के एक भाग अर्थात प्रथम चार माह तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल चवालीस हजार तीन सौ छप्पन करोड़, चौबीस लाख, छियासी हजार रुपये की धन राशि जो पृथकत: वितरित लेखानुदान की मांगों के स्तंभ 6 में दी गई राशियां विनियोगों की अनुसूची के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिये सम्मिलित हैं, लेखानुदान के रूप में दी जावें.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
लेखानुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)
श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

प्रदेश में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर एवं पाले के कारण फसलों की क्षति होने के संबंध में सर्वश्री सत्यदेव कटारे, संजय पाठक तथा महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्यगण द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2014 को प्रारंभ हुई चर्चा के क्रम में, अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों के नाम पुकारे गए किन्तु गर्भगृह से नारेबाजी एवं व्यवधान होने के कारण आज चर्चा नहीं हो सकी.

11. शासकीय वक्तव्य

कृषि भिन्न प्रयोजन के लिए शासकीय भूमि (नजूल) के अग्रिम आधिपत्य संबंधी वक्तव्य

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कृषि भिन्न प्रयोजन के लिए शासकीय भूमि (नजूल) के अग्रिम आधिपत्य के संबंध में निर्देश पर, राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय संबंधी वक्तव्य दिया गया.

कार्यवाही में निरंतर व्यवधान, नारेबाजी एवं शोरगुल के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्याह्न 12.08 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2014, (फाल्गुन 14, 1935) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

राजकुमार पांडे,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 5 मार्च, 2014